

श्री परशुराम सुविधा ग्रह निरमि सह समिति हर्षी. निम्न की प्रबंध समिति की आवश्यक बॉक डिग्रेड 15/6/2024 को श्री बाल कृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में स्थान: 126, शिशुब कॉलोनी - निम्न पर शयं 6:30 बजे प्रारंभ की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ① श्री बाल कृष्ण शर्मा    | ② श्री विनेश नागडा |
| ③ श्री सत्यनारायण शर्मा   | ④ श्री डोमण्डराय   |
| ⑤ श्री महेन्द्र कुमार     | ⑥ श्री पवन कुमार   |
| ⑦ श्री राधेश्याम उपाध्याय | ⑧ श्री आनंद कुमार  |

(202) रेशा फन सूचना पत्र क्र. 4  
पत्र-क्रमांक/2024/II-P/A-  
05F-125/2281 डिग्रेड  
05 जून 2024 द्वारा वांछित  
दस्तावेज

- ① पोर्टल पर चेक लिस्ट में सोसाइटी का पंजीकरण अपलोड नहीं किया गया है
- ② पंजीकरण सहकारी सेव्या द्वारा अनुमोदित सदस्यता सूची, उन्हे आवंटित इकाई क्रमांक के विवरण सहित प्रस्तुत नहीं की गई है पर विचार/बाबत

(202) रेशा फन, सूचना पत्र क्रमांक 4,  
पत्र-क्रमांक/2024/II-P/A-05F/  
-125/2281 डिग्रेड 05 जून 2024  
द्वारा वांछित दस्तावेज -

- ① पोर्टल पर चेक लिस्ट में सोसाइटी का पंजीकरण अपलोड नहीं किया गया है  
बिन्दु क्रमांक 1 का पालन में सोसाइटी का पंजीकरण पत्र अपलोड किया गया था फिर भी रेशा फन का पालन करने हुए पुनः पंजीकरण पत्र अपलोड एवं उसकी हार्ड कॉपी रेशा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाय
- ② पंजीकरण सहकारी सेव्या द्वारा अनुमोदित सदस्यता सूची, उन्हे आवंटित इकाई क्रमांक के विवरण सहित प्रस्तुत नहीं की गई है  
बिन्दु क्र. 2 के पालन में सेव्या द्वारा पंजीकरण सहकारी सेव्या द्वारा अनुमोदित सदस्यता सूची प्रस्तुत की गई है,

पल्लु रेशा द्वारा उन्हे आवंटित इकाई क्रमांक के विवरण सहित की भोग की जा रही है।  
संस्था की पंजीकृत आदेश उप विधि में उप विधि क्रमांक 117(1) कॉलोनी विकसित



करना एवं प्लानों का आवंटन:-  
 बिन्दु क्रम 9 के अनुसार  
 उपरोक्त समस्त अनुमतियों के  
 पश्चात भूमि का विकास करने  
 तथा विकसित भूखण्ड तैयार करने  
 के पश्चात ही भूखण्डों का  
 आवंटन आमसभा द्वारा स्वीकृत  
 प्राथमिकता सूची के अनुसार किया  
 जावेगा।

सदस्यों द्वारा अपने भूखण्ड  
 अग्रिम एवं विकास शुल्क जमा नहीं  
 कराये जाने के कारण सेव्या द्वारा  
 भूमि का विकास एवं विकसित भूखण्ड  
 तैयार नहीं किये जाने से निम्नानुसार  
 सदस्यों को भूखण्डों का आवंटन  
 नहीं किया गया है।

परन्तु रेरा द्वारा सदस्यों को  
 आवंटित ईकाई क्रमों के विकरण  
 सहित की मोग की जा रही है।

इस पर सदस्यों द्वारा गहन  
 विचार पत्रमर्श किया गया, विचार  
 उपरान्त निर्णय लिया गया कि  
 रेरा का सूचना पत्र क्रम 3 म. पत्र -  
 क्रम 1/2024/II-P/A-05F-125/  
 2281 दिनांक 5 जून 2024 के  
 पालन में सदस्यों को भूखण्ड आवंटन  
 की प्रस्तावित सूची बनाई जावे।  
 प्रस्तावित भूखण्ड आवंटन ईकाई क्रमों  
 निम्नानुसार सदस्यों द्वारा भूखण्ड  
 राशि/विकास राशि जमा के आधार  
 पर म. प्र. सहायरी लोहाइटी  
 अधिनियम की धारा 72 की उप  
 धारा 3/3 के अनुसार प्रति वर्ष  
 परिवर्तनशील रहेगी, सदस्यों का  
 क्रम अवतल/उन्नत जमा राशि के  
 आधार पर सेव्या द्वारा किया  
 जा सकेगा। सदस्यों की आपसी  
 सहमति से आवंटन ईकाई



क्रमोक्त का उल्लेख (आदली-बदली) की जा सकेगी। उपरोक्त प्रस्तावित भूखण्ड आवेदन ईकाई क्रमोक्त सूची-रेरा के पत्र-क्रमोक्त/२०२५/II-P/A-05F-125/2281 दिनांक 05 जून 2025 के पालन में किया जा रहा है। जिसमें भूखण्ड राशि/विकास राशि जमा के आधार पर परिवर्तन करने का अधिकार संस्था को होगा। प्रस्तावित भूखण्ड आवेदन ईकाई आवेदन ईकाई क्रमोक्त सूची को उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया, सदस्यों द्वारा सूची का अवलोकन करने के पश्चात उपरोक्त समस्त निर्णय सर्वानुमति से स्वीकृत किया जाता है।  
 प्रस्तावित भूखण्ड आवेदन ईकाई क्रमोक्त सूची लागू है।

*[Signature]*  
Prakash

*[Signature]*

Dinesh

*[Signature]*

राजेश कुमार  
 १५/६

*[Signature]*



श्री परशुराम खुविचा वृत्त निर्माण सह समिति द्वारा नीम्न की प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 10/9/2024 को श्री कालकृष्णशर्मा की अध्यक्षता में स्थान 126, शिसड कॉलोनी, नीम्न पर शाम 6-30 बजे प्रारंभ की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| ① श्री कालकृष्णशर्मा        | ⑥ श्री सत्यनारायण शर्मा   |
| ② श्री महेन्द्र कुमाराशर्मा | ⑦ श्री राधेश्याम उपाध्याय |
| ③ श्री दिनेश नागडा          | ⑧ श्री डोमप्रकाश          |
| ④ श्री पवन कुमार            | ⑨ श्री अजय कुमार          |
| ⑤ श्रीमती गायत्री           | ⑩ श्रीमती चन्द्र राणा     |
| ⑪ श्री नरेश लोप             |                           |

(203) इन्डोर उच्च न्यायालय में संस्था की अपील डा. 180/2011/AN के सम्बंध में अधिकारता से इन्डोर जाण व्यक्तिगत सम्पर्क करते दिनांक 16/7/24 की पुष्टि कायत।

(203) संस्था की भूमि पास की भूमि भण्डारा काई आदि से जुड़े संबंधी अनुबंध किया गया था जिसका प्रकरण (अपील) उच्च न्यायालय इन्डोर में पुचलित है उसकी जानकारी एवं अन्य कार्यवाही हेतु इन्डोर से अधिकारता श्री समीर अहवालसे से व्यक्तिगत रूप सम्पर्क करने हेतु दिनांक 16/7/24 को अद्यपस एवं उपाध्यक्ष दोनों टेम्सी द्वारा उच्च न्यायालय इन्डोर गये थे एवं अधिकारता से प्रकरण में मृतक के वारिसान एवं अन्य व्यक्तियों जो की भूमि क्रम की है उनके नाम प्रकरण में जोड़ने एवं उनके नाम प्रकरण में सम्मिलित करने एवं उनको न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने का आग्रह किया जिस पर होने वाले न्यायालय व्यय एवं अधिकारता मुक्त, एवं इन्डोर आने एवं जाने तथा हुये व्ययों की समिति से स्वीकृति एवं पुष्टि की जाती है



(204) संस्था के सदस्य निर्मल राजौरा द्वारा गृहणित जारी वापसी एवं सदस्यता निरस्त की आकांक्षा के आदेश की पुष्टि कावत।

(204) संस्था के सदस्य श्री निर्मल राजौरा द्वारा पिता वसुदेवराज राजौरा द्वारा अपनी सदस्यता निरस्त एवं जमा राशि वापसी के आदेश को हाथमेल को प्रस्तुत किया जिस पर आदेश द्वारा आदेश स्वीकृत कर उन्ही लाला जमा राशि निर्भरता वापस करने का आदेश दिया गया था जिसे पर उन्ही सदस्यता निरस्त कर जमा राशि 24000 रु. द्वारा जारी निर्मल राजौरा को वापस किया गया था उक्त लाला कार्पवाही की सविनयता से स्वीकृति एवं पुष्टि की जाती है।

(205) दिनांक 23/7/2024 को रेश कार्पवाही भोपाल पर व्यक्तिगत सुनवाई पर उपस्थित होने की पुष्टि कावत।

(205) रेश कार्पवाही द्वारा पेजीफन कार्पवाही हेतु दिनांक 9/7/20 24 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 23/7/2024 को प्रातः 11 बजे अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को लक्ष्य लिखा गया, जिस पर अध्याक्ष एवं उपाध्याक्ष एवं सी.ए.एन. पाटीदार को लेकर टेम्पली द्वारा भोपाल रेश कार्पवाही गये एवं सुनवाई में उपस्थित होकर दस्तावेज एवं अपना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें फलस्वरूप रेश पेजीफन स्वीकृत हुआ। उपरोक्त लाला कार्पवाही में भोपाल आने जाने, होटल एवं अन्य व्ययों की सविनयता से स्वीकृति एवं पुष्टि की जाती है।



(206) श्री परशुराम नगर की भूमि पर से विद्युत तार हटा जाने की एवं उस पर हुये व्ययों की स्वीकृति एवं पुष्टि आवश्यक।

(206) संस्था की कॉलोनी की परशुराम नगर की भूमि पर से L.T लाइन के तार जो रहे थे जो कि कॉलोनी विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे थे इस कार्य हेतु श्री बालकृष्ण राव अध्यक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निम्नाउसार स्थिति राशि का शुल्क जमा कर उ-हे हटवाया गया है उक्त कार्य में होने वाले लगता व्ययों की जो कि ठेकेदार एवं विद्युत मण्डल से जमा किये हैं की स्विकृति ले कर कार्य की स्वीकृति एवं व्ययों की पुष्टि की जाती है।

(207) ग्राम तथा नगर निवेश (TDC) की शर्तों के पालन में पुनः सीमांकन करने पर सीमा में परिवर्तन होने से पुनः मानचित्र बनवाना स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही कले आवश्यक एवं प्रिकाल्ट बाउण्ड्रीवाल बनाने आवश्यक।

(207) ग्राम तथा नगर निवेश की शर्तों के पालन के परिपेक्ष में विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पुनः राजस्व विभाग से भूमि का परिमाण कटाया जाने से वर्तमान में सीमा में परिवर्तन होने से पुनः नक्शा बनवाना एवं इंजिनियर से नये विभाग के अनुसार ग्राम तथा नगर निवेश से मानचित्र स्वीकृत करवाया जाने एवं फ्लैट्स पर होने वाले समस्त व्ययों की स्विकृति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(208) कॉलोनी विकास कार्य हेतु जारी की गई टेण्डर विज्ञापन पर कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के विषय पर विचार आवश्यक।

(208) संस्था की कॉलोनी की परशुराम नगर का प्राथमिक विकास कार्य हेतु दिनांक 31/6/2024 को दो समान्य पत्रों में एक एकाग्रित एवं प्रादेशिक समान्य पत्र) विज्ञापित करवाई गई थी पालु समय उपरान्त भी कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। संस्था का उद्देश्य



इंजिनरीया हो स्टीमेर बनवाया।  
 गया था उक्त स्टीमेर पर  
 कोई पंजीकृत डेवेला कार्य करने  
 को सम्भव नहीं होने से  
 पुनः बाजार पर से स्टीमेर  
 बनवाया जावे एवं निम्न  
 विधि प्रमाणपत्र सहायक  
 पत्रों में जारी किया जावे।  
 उपरोक्त समस्त कार्यवाही की  
 सविनयता से स्वीकृति प्रदान  
 की जाती है।

~~S. N. Sharma~~  
 7/22/21  
 P. C. Sharma  
 7/22/21  
 D. N. Sharma  
 S. N. Sharma  
 AB



श्री परमेश्वर सुविधा ग्रह निगम लि. सभिति मयि निमन की प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 22/10/2024 को श्री कालकृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में स्थान 126, शिवाकु कॉलोनी निमन पर राय 6:00 बजे प्रारंभ की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे।

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) श्री कालकृष्ण शर्मा      | 2) श्री महेन्द्र कुमार्  |
| 3) श्री दिनेश-व-द           | 4) श्री पवन कुमार्       |
| 5) श्री नरेश शौध            | 6) श्री सत्यनारायण शर्मा |
| 7) श्री राधे श्याम उपाध्याय | 8) श्री ओमप्रकाश शर्मा   |
| 9) श्री अजय कुमार् गजगर्    |                          |

(209) श्री देवीलाल दवे को शर्त 20 लाख रुपये (बीस लाख रुपये) अनुबंध अनुसार उधार दिये गये थे लेकिन श्री देवीलाल दवे ने अनुबंध के अनुसार भोग किये जाने पर भी शर्त अदा नहीं की है, इस कारण से श्री देवीलाल दवे से बाशि वसूल करने हेतु न्यायालयीन कार्यवाही करने पर विचार करने का मत।

(209) शर्त सम्मति से विचार किया गया कि समिति की ओर से श्री देवीलाल दवे को शर्त 20 लाख रुपये (बीस लाख रुपये) अनुबंध अनुसार उधार दिये गये थे लेकिन श्री देवीलाल दवे ने अनुबंध के अनुसार भोग किये जाने पर भी शर्त अदा नहीं की है, इस कारण उसके विकल्प वसूल का वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, इस मामले में समस्त तथ्यों की जांच करी श्री ओमप्रकाश शर्मा को है, वे मामले के तथ्यों की अभिसाध्य देने के योग्य हैं। इस कारण समिति की ओर से वाद प्रस्तुत करने हस्ताक्षर करने, सत्यापन करने, शपथपत्र देने एवं समस्त न्यायालयीन कार्यवाही अपने हस्ताक्षरों से सम्पादित करने हेतु श्री ओमप्रकाश शर्मा को अधिकृत किया जाता है तथा वाद प्रस्तुत करने के लिये श्री महेन्द्र पार्टीदार अधिकारता को नियुक्त किया जाता है, तथा इस कार्य में होने वाले समस्त न्यायालयीन व्यय, अधिकारता शुल्क आदि की स्वीकृति



(१०) संस्था की कॉलोनी श्री पथुराम नगर की भूमि पर लगी प्रिकास बाडवड़ी को पुलिस द्वारा तोड़ने की धमकी देने एवं रास्ते पर पुलिस द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण -आयातमीन कार्यवाही करने पर विचार होने वाकत।

(१०) संस्था की कॉलोनी श्री पथुराम नगर की भूमि पर लगी प्रिकास बाडवड़ी को पुलिस द्वारा तोड़ने की धमकी देने एवं रास्ते पर पुलिस द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण -आयातमीन कार्यवाही करने पर सर्व सम्मति से विचार किया गया कि समिति की सम्मति एवं प्रिकास की रक्षा करने तथा रास्ते पर कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए जिला कलेक्टर नीमन एवं पुलिस अधीक्षक नीमन के विरुद्ध स्ट्रे के लिये ऐडविल वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है इस मामले में समस्त तथ्यों की जानकारी श्री ओमप्रकाश शर्मा को है व मामले के तथ्यों की जांच साक्ष्य देने के योग्य है। इस कारण समिति की ओर से वाद प्रस्तुत करने, हस्ताक्षर करने, सत्यापन करने, शपथ पत्र देने, एवं समस्त -आयातमीन कार्यवाही अपने हस्ताक्षरों से सम्पादित करने हेतु श्री ओमप्रकाश शर्मा को अधिकृत किया जाता है। तथा वाद प्रस्तुत करने के लिये श्री महेश पाटील अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है तथा इस कार्य में लेने वाले समस्त -आयातमीन व्यय अधिवक्ता शुल्क आदि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(११) श्री पथुराम नगर के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु विकास उप समिति गठित करने पर विचार वाकत।

(११) श्री पथुराम सुविधा गृह निर्माण सह समिति तथा नीमन की कॉलोनी "श्री पथुराम नगर" के विकास एवं निर्माण कार्य विभाजित है इस हेतु एक विकास उप समिति बनाया जागा है उप समिति में चर्चा उपरान्त निम्न सदस्यों को सदस्य



बनाया जाता है

(1) श्री राधेश्याम उपाध्याय (2) श्री  
 महेश कुमार शर्मा (3) श्री दिनेश कन्द  
 नागा (4) श्री पवन शर्मा (5)  
 तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में श्री  
 दिनेश शर्मा (सिविल इंजीनियर)  
 को उपरोक्त संरचनाओं को  
 विकास उपसमिति का सदस्य  
 बनाया जाने एवं तकनीकी विशेषज्ञ के  
 रूप में श्री दिनेश शर्मा (सिविल  
 इंजीनियर) को निम्नांकित परिधि  
 भुगतान करने का सर्वसम्मति से  
 निर्णय लिया जाता है। श्री दिनेश  
 शर्मा (सिविल इंजीनियर) को पत्र  
 जारी किया जावे।

(12) सेवा की कालोनी श्री  
 पशुपत नगर के विकास हेतु  
 निर्माण कार्य की प्राप्त  
 डिटेल निविदाओं की  
 दरों में से न्यूनतम दर को  
 स्वीकृत करने पर विचार  
 आवे।

(13) सेवा की कालोनी श्री पशुपत  
 नगर के विकास हेतु 1 हिमैर  
 कोक्री रोड (2) वाटर सप्लाई पाइप  
 लाइन (3) आर.सी.सी. स्लैब वाली  
 निर्माण (4) सीवर लाइन (5) पम्प  
 हाउस (6) विद्युतीकरण कार्य (7)  
 कालोनी विकास कार्य (8) ट्यूबवेल खनन  
 (9) पायवे निर्माण (10) ओवरहेड वा  
 टेंक (11) काउन्टीवाल निर्माण (12)  
 मेनगेट निर्माण

उपरोक्त निर्माण कार्य की  
 डिटेल निविदा में प्राप्त निविदाक  
 द्वारा अपनी-अपनी निविदाओं  
 में निम्न वत दरें प्रस्तुत की:-

- (1) सैजध शर्मा नीमत :- अनुमानित लागत  
 रु. 187.00 लाख एवं  
 5% आर्थिक एवं
- (2) ओ.के. इंटरप्राइजेस :- अनुमानित लागत रु.  
 187.00 लाख एवं  
 5% आर्थिक एवं
- (3) एच.के. इंटरप्राइजेस :- अनुमानित लागत रु.  
 107.00 लाख एवं  
 10% आर्थिक एवं



उपरोक्त निविदाकारों से प्राप्त दरों में में. ओ. के इन्टरप्राइजेज लिमिटेड की अनुमानित लागत (एच.ओ.आर.) से 5% अधिक एवं 18% जी.एच.टी. अतिरिक्त की लोकर-भूतम दर है जो कि अन्य निविदाकारों से -भूतम दर है।

उपरोक्त सदस्यों द्वारा प्राप्त निविदा में -भूतम दर पर किमा विचार निमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि में. ओ. के. इन्टरप्राइजेज लिमिटेड की दर अनुमानित लागत से 5% अधिक एवं 18% जी.एच.टी. अतिरिक्त की लोकर-भूतम दर को स्वीकृत किया जाता है। जिसे विशेष साधारण सभा में अनुमोदित करने के उपरान्त ही नियमावली कार्य आदेश के पूर्व अमानत राशि (चेक / एफ.डी.) जमा कराने एवं अनुबंध सम्पादित करने हेतु फर्म को सूचना पत्र जारी किया जावे। एवं अधिक दर वाली फर्मों संजय शर्मा लिमिटेड, एन.के. इन्टरप्राइजेज लिमिटेड से प्राप्त चेकों को केन्सिल कर नस्ती किया जावे।

(शिड) विशेष साधारण सभा आयोजित करने किमा कायत।

(शिड) संस्था की कालोनी श्री परशुराम नगर पर लगी दुर्घटना से निराशा को पुनर्निर्माण गारा लोडने की धरकी देने एवं रास्ते पर पुनर्निर्माण द्वारा व्यवधान उपलब्ध करने के कारण -आमालीन कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी सदस्यों को देने एवं वर्तमान स्थिती से अकालत कराने, कुछ सदस्यों द्वारा संस्था की बार-बार जन सुनवाई में गूँटी शिकायत की जाने से संस्था की साव को ले रही क्षति